International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 29-05-2023, Accepted: 14-06-2023, Published: 29-06-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 102-104

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन

रिनू गोठी
पीएचडी, शोधर्थी, विभाग समाजकार्य, बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, मध्यप्रदेश, भारत

सारांश
इस प्रस्तुत शोध आलेख में मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में और मध्यप्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के भीतर कुपोषण से संबंधित सरकार की योजनाओ एवं समय–समय पर प्रयोजित कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करने पर खास ध्यान में रखते हुए आलेख के मुख्य दो उद्देश्यों पर शोध अध्ययन केन्द्रित है–क) मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण का अध्ययन करना ख) मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से संबधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इस शोध चयन उद्देश्य के पीछे की पृष्ठभूमि में कुपोषण के स्थिति को सभी राज्यों की दृष्टि से विश्लेषण किया जाये तो मध्यप्रदेश भारत का दूसरा राज्य है। यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल सात करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 है। जिसमें 5 करोड़ 25 लाख 57 हजार 404 ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों की जनसंख्या है। इस बड़ी जनसंख्या के समूहों में मध्यप्रदेश की जनजातियों का प्रथम स्थान है जो जंगल के बीच पहाड़ियों, घाटियों में शहर से दूर बसा हुआ है। शोध प्रविधि में शोध आकड़ो के संचयन हेतु द्वितीयक आकड़ो का संग्रहण शासन द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनो को संदर्भित करते हुए विश्लेषण का आधार बनाते हुए मध्यप्रदेश के जनजातीय कुपोषण की स्थिति पर उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। जिसके माध्यम से कुपोषण की स्थिति को कोरकु जनजाति के विशेष संदर्भ में अध्ययन को संपन्न किया गया है। इस शोधकार्य विधि की परिसीमाएं मध्यप्रदेश के जनजातीय कुपोषित बच्चो महिलाओं तक सीमांकित किया गया है। जो कि संबंधित योजनाओं और प्रयोजित कार्यक्रमों के प्रभावित परिणामों को विस्तृत विश्लेषणात्मक उल्लेख को शोध आलेख में आगे किया गया है। प्रस्तुत शोध के परिलक्षित निष्कर्षो की प्रासंगिकता में यह सार्थक शब्दो में कहा जा सकता है कि केन्द्र व मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे कुपोषण संबंधित योजनाओं और प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रभावी परिणाम में सार्थकता है।

मूल शब्दः कुपोषण, कोरकु जनजाति, कुपोषित बच्चे महिलायें, स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मानव मस्तिष्क की पहली इकाई है। मानव अस्तित्व के इतिहास में भोजन जुटाने खानाबदोस आदिमानव का जिस रूप में ऐतिहासिक वर्णन मिलता है उसमें खाद्यान वनस्पिति की पहचान करना किसी वैज्ञानिक परीक्षण से कम नहीं रहा होगा। जब मानव को यह तय करना कि किस वनस्पिति के खाने से जीवन आर्युवान होगा तब कुछ आदिम लोग तो अपने जीवन को गंवा ही बैठे होगें। लेकिन वर्तमान आधुनिक प्राचीन इतिहास का परिणाम है। मानव जाति के लिए आहार का संबंध तब से उसके अस्तित्व में रहा है। आहार के बिना भोजन के बिना उसके भौतिक अस्तित्व को बनाये रखना उतना ही कठिन है जितना कि नीर के बिना मछली वैसे भोजन के बिना मानव अस्तित्व है। इसलिए इतिहास काल से ही भोजन मनुष्य के अस्तित्व का मौलिक आधार बिन्दु है। उसके लिए एक उचित आहार न केवल शरीर का अनुरक्षण के लिए होता है बल्कि उसे एक उचित मात्रा में एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह ऊर्जा ही उसके शरीर के विकास में सहायक होती है और न सहायक होती है इसके साथ साथ शरीरिक ऊर्जा शक्ति ही स्वस्थ्य शरीर ही स्वस्थ्य मस्तिष्क ही स्वस्थ्य प्रजनन करती है। यह कहा जाये कि यह एक प्रकार से चक्रिय श्रृखंला है जिसमें वह स्वस्थ्य भोजन के ग्रहण करने से उसका शरीर स्वस्थ्य होता है और स्वस्थ्य प्रजनन करता है। यदि वह कुपोषित भोजन करता है तो कुपोषित शरीर होता है और उस कुपोषित शरीर से कुपोषित नवजात शिशु को जन्म देता है। क्योकि आहार में पोषण का होना खाया पिया जाना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे शरीर का अवशोषण होता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके शरीर की वृद्धि होती है उससे ऊतको की मरमम्मत होती है। इससे ही शरीर की सर्वांगीण विकास में भोजन के रसायनिक अवयव जो उसके शरीरिक अभिक्षमता में शक्ति को निष्पादित करता है। जिन्हें पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। उन पोषक तत्वों के नाम में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन मिनरल इत्यादि के नामों से जाना जाता है। जो स्वच्छ पेयजल स्वच्छ भोजन जो स्वास्थ्य फल फूलों और समय समय पर स्वास्थ्य परामर्श के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्यता का आकलन किया जाता है। जो कि शारीरिक सर्वांगीण विकास में सहायक है। जब शरीर में इन निम्न पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है बल्कि यह कहे इनकी उचित मात्रा में कमी पाई जाती है तो इस अल्पपोषित भोजन से कुपोषण की समास्या का जन्म होता है। जिससे शरीर के विभिन्न अंगो में कभी कभी चयापचयी की दुष्क्रियता उत्पन्न होती हैं। इस स्थिति को कुपोषण कहा जाता है यह समास्या असंतुलित भोजन के आहार से जन्में वाली शरीरिक स्थिति को कुपोषण कहते है। आज कुपोषण की समास्या एक अर्तराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आयी है जो कि विभिन्न देशो में अलग अलग सूचकांको पर प्रदर्शित किया जाता है। जिनमें बच्चे महिलाओं को भी शामिल किया गया है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सूचकांक में शामिल है और मध्यप्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है।

मध्यप्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण की समास्या

भारत के कुपोषित राज्यो की सूचकांक में मध्यप्रदेश का द्वितीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल सात करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 है। जिसमें 5 करोड़ 25 लाख 57 हजार 404 ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों की जनसंख्या है। यदि मध्यप्रदेश की कुपोषण की स्थिति को देखो जाये तो जनजातीय क्षेत्रों में अधिक कुपोषण की स्थिति साफ दिखाई देती है। जो कि कुपोषण की स्थिति कोई नई नहीं है। बल्कि यह करीब कई दसक पहले से यह समास्या है जिसका मामला कई बार जोर शोर से हाय तौबा उठता रहता है। एक तरीके से कहे तो मध्यप्रदेश भारत का द्वितीय कलांकित राज्य है जो कुपोषण के लिए जाना जाता है।

इसका आधार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 और 2019–20 में भी देखा जा सकता है। इस सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ था कि भारत में कुपोषण का पहला स्थान बिहार राज्य के बाद द्वितीयक स्थान मध्यप्रदेश का था। आज भी मध्यप्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है। यह देश का चिंतनीय सवाल है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार आदिवासी समुदाय के लोग है। भारत के कई राज्यों में केन्द्र और राज्यों की कुपोषण से सबंधित कई प्रायोजित योजनायें कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और उसमें सरकार का पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। एन्जियों जैसी संस्थाएं भी कार्यरत है। इसके बावजूद भी मध्यप्रदेश की कुपोषण की स्थिति में घटने की बजाय इजाफा ही हुआ है। इससे यह कहा जा सकता है। कि कुछ एक दसको में कुपोषण की स्थिति में कोई खास प्रभावी बदलाव नहीं आया परन्तु मध्यप्रदेश शासन की प्रयास और पहल से पिछले 12 वर्षो से 7 हजार 8 सौ करोड़ का पोषण आहार तो बांटा गया है। लेकिन मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मामले 11 साल से पूरे देश में पहला स्थान है। परन्तु भारत की लगभग सत्तर से पचाहत्तर विशेष पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण की समास्या ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह भारत की आजादी के पहले। आज भी समाचार पत्रों में यह पढ़ने को आसानी से मिल जाता है कि यदि राशन की दुकान से आनाज नहीं मिल पाया तो मासूम बच्चो की भूख से जान ही निकल गई है। इस तरह की घटनायें भारत की जनजातीय समूहो में कुपोषण और भूख की समास्या से जूझ रहा है। इससे मध्यप्रदेश की जनजातीय समूह कूपोषण की समास्या को समझा जा सकता है।

कुपोषण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित आगनवाड़ी केन्द्रों में कुपोषण के खिलाफ पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। यह कुपोषण से सबंधित सभी योजनाओं में से एक अग्रदूत योजना है। जो कि प्रदेश में संचालित लगभग 453 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग कुल 84 हजार 465 आगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जबकि 12 हजार 670 मिनी आगनवाड़ी केन्द्रो की स्वीकृत स्थिति है। इन आगनवाड़ियों में लगभग 80 लाख महिलाओ बच्चों को पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। इन आगनवाड़ी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु जो भी व्यय की जाने वाली राशि होती है उसका 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार की महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति करायी जाती है। यह प्रयास 2018 से 2020 में सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। जबकि इस प्रयोजित कार्यक्रम में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चो को गर्भवती धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन एवं अन्य प्रदायकर्ताओं के माध्यम से संभागवार सप्ताह के पांच दिन में अलग अलग दिवसों में खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है। जैसे 120 ग्राम हलुआ 6 माह से 3 वर्ष के बच्चो के लिए 150 ग्राम आटा बेसन गर्भवती धात्री माताएं और इसके अलावा सरकार की नवीन मापदण्ड के अनुसार वजन का माप किया जाता है। विद्यालय में कक्षा 1 से आठवीं तक माध्यान भोजन का कार्यक्रम भी इसी दिशा में जुड़ा हुआ है। आगनवाड़ी केन्द्रो में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को मीठा सुगंधित फेलेवरड मिल्क 15 जुलाई 2015 से तीन दिवस सोमवार बुधवार शुक्रवार प्रदान किया जाता रहा है। जिसमें 100 एमएल दूध की मात्रा अनिवार्य है। इसी प्रकार बच्चो को माध्यहयान भोजन में सोमवार को रोटी सब्जी दाल चावल मंगलवार को दाल चावल चना अरहर बुधवार को उबला दूध दाल चावल मौसमी सब्जी गुरूवार को चना अरहर की रोटी सब्जी दाल चावल शुक्रवार को रोटी सब्जी दाल चावल मौसमी सब्जी शनिवार को सप्ताह में एक बार खीर पूड़ी दाल चावल मौसमी सब्जी। इस प्रकार से कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान को प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत आहार अनुदान योजना को 15 जिलों में प्राप्त हो रहा है। आहार अनुदान योजना के अन्तर्गत महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। जिससे वे अपने बच्चे को पूर्णपोषण युक्त आहार अपने नौनिहाल बच्चे को खिला सके।

शोध का उद्देश्य

1. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण का अध्ययन करना
2. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से संबधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि और आकड़ो का संग्रहण

इस शोध अध्ययन की प्रविधि के लिए मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदायों की कुपोषण स्थिति की अध्ययन हेतु गुणात्मक शोध प्रविधि का चयन किया गया है। जिसमें द्वितीयक आकड़ो का संग्रहण समंको का चयन किया गया है। शोधार्थी ने प्राथमिक आकड़ो के सग्रंहण में प्रभावों को ढुढ़ने में मिश्रित प्रतिचयन का चयन इस आधार पर किया गया कि मध्यप्रदेश में प्रभावी कार्ययोजनाओ के प्रभावो का अध्ययन किया जा सके इसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जैसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के माध्यम से द्वितीयक समंको के आकड़ो का संग्रहण किया गया है। जिसका इस अध्ययन में पूरी शुद्धता को बरतते हुए की गयी है जिससे शोध आलेख की सार्थकता को पढ़ाया जा सके। मध्यप्रदेश के कुपोषण को मिटाने के लिए जिन निरन्तर अभियानो के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमो के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य व जिला स्तर पर आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के बीच समन्वय स्थापित कर जिले के सहायक आयुक्त परियोजना प्रशासक ए. एन.एम., आशा एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ता के एकजुटता के सहयोग से कुपोषण मुक्त मिशन को तेज गति दी जा रही है। जबकि महिला लाभार्थियों से चर्चोपरान्त संग्रहित आकड़ो के विश्लेषण पाया गया है उनके परिवारिक आय के श्रोतों में पति पत्नी का आय का मुख्य श्रोत मजदूरी है जंगल से वनोपज संग्रहण करना है और खेती कासकारी मासिक आय 1200 से 3600 के बीच औसतन प्रत्येक परिवार की आय है। यदि इनके परिवार में इस बीच कोई बीमार पड़ जाता है कोई तिथ तिहार की रस्में मनाते है तो उसे पैसे कर्ज में लेने पड़ते है जिसकी ब्याज दर अधिक होने से साहूकार उसे गिरफ्त में फंसा लेते है। इस तरह से उसके शारीरिक मानसिक अनिस्थरता से स्वास्थ्य में असर पड़ता है। परिणामस्वरूप दैन्दनिक जीवन में हर रोज हारता जाता है और अपने परिवारिक जीवन में स्वास्थ्य भोजन को जुटा पाना मुश्किल होता है। ऐसे परिवारो को लाभार्थियों को सूची में तो रखा जाता है। लेकिन उनकी आर्थिक जीवन में कोई और अवसर की मुहाने से कोषो दूर रहते है इसलिए उपर्युक्त पोषण आहार लेने में विभिन्न तरह की समास्याओं का सामना करते है। जैसे कि घर खर्च चलाने में उज्जला गैस कनेक्शन नहीं भरवा पाते है। सब्जी भाजी नहीं ले पाते है। सूखी रोटी को नमक में पानी मिलाकर डुबोकर खाते है इस तरह के खान पान से बच्चे बिमार पड़ते है। कई बार काम न मिलने से मजदूरी न मिलने से प्रकृतिक आपदा आने से घर परिवार को भूखे सोना पड़ता है। यहां तक कि कभी कभी योजनाओं की राशि और रोजगार ग्रांटी की मजदूरी समय से नहीं भुगतान होने पर परेशान रहते है उससे ज्यादा कि बैंक का चक्कर काटते है वहीं किसी साहूकार के चक्कर काटते है। जबकि धन्नासेठों के यहां मजदूरी

धन्धा करने के बाद अपने ही श्रम की मजदूरी पाने के लिए दर दर भटकते है। सरकार के विगत दो वर्षो के आकड़ो पर नजर डाला जाये तो पी.व्ही.टी.जी. या कहें कि भारत की विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत के प्रदेशों में 2 लाख 24 हजार लगभग परिवार की मुखिया महिलाओ को ही प्रतिमाह 1 हजार रूपये की राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। यही हाल आहार अनुदान योजना और प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना की स्थिति है। प्रदेश में कुपोषण के मुख्यतः तीन प्रकार है जैसे कम वजन, दुबलापनए ठिगनापन है। कुपोषण से प्रभावित बच्चों को विद्यालय की प्रार्थना सभा में चक्कर का बार बार आना जैसी घटनाए कुपोषण का परिणाम है।

सुझावात्मक निष्कर्ष

मध्यप्रदेश के खाद्यपूर्ति खाद्यसुरक्षा को आगनवाड़ी केन्द्रो की तरह पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की मध्यप्रदेश लोक सेवा ग्रांटी के तहत शामिल कर लिया गया है जिसके तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को 25 किलो का बी.पी.एल के अन्तर्गत प्रतिमाह दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को ताजा गरम भोजन के लिए टेक होम राशन कार्ड के अन्तर्गत पूरक पोषण आहार को आगनवाड़ी केन्द्रो से जोड़ा गया है। इस प्रायोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह को भी भोजन तैयार करने जैसे प्रबंधन कार्यो में जोड़ा गया है। ठीक इसी तरह विद्यालय के माध्यान्ह भोजन को पकाने के खिलाने के प्रबंधन कार्य में से जोड़ा गया है। उपर्युक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन उसके प्रभाव को सार्थकता प्रदान करते है। इससे कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश कि योजनाएं कुपोषण को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कुपोषण के लक्षण इस रूप में प्रकट होते है कि बच्चे व माताओं का बार बार बिमार पड़ना, कमजोरी शारीिक विकाश में देरी, चिडचिड़ापन कमजोरी, आयु की तुलना में वजन में गिरावट इत्यादि लक्षण कुपोशण को परिलक्षित करते है। इसके लिए सरकार को प्रत्येक परिवार में औसतन साल में एक बार परिवार के सभी के सदस्यों का रूटीन चेकअप होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. चौधरी, एन.पी. (2019) प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक रूपरेखा में सामाजिक राजनीतिक दर्शन संदर्भ, सिटी पब्लिकेशन, शहादरा दिल्ली, पृष्ठ क्र0 154–155।
2. कुपोषित बच्चों पर यूनिसेफ
3. आहुजा, राम (2010). सामाजिक अनुसंधान रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. शर्मा, आनंद कुमार (2008). जनजातियों का स्वतंत्रत संघर्ष, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष 2016.
5. श्री वास्तव ए. आर. एन. (2007). जनजातिय भारत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ.क्र. 1–51
6. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2009).रिसर्च मेथोडोलॉज्, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ.क्र. 45
7. खॉ. अहमद नूर (2005). मॉ स्वस्थ तो बच्चे स्वस्थ कुरुक्षेत्र पत्रिका पृ. क्र. 38 द्य 9 भारत की जनगणना रिपोर्ट 2001 व 2011.
8. कनावती, ए. आर. एंड मैकलर्न, डी. एस. एसिसमेंट ऑफ मार्जिनल मालन्यूट्रीशन, नेचर. 1970, 228:384.
9. कुमार, वी. – प्रसाद, एम. पोषण विज्ञान, नई दिल्ली, जे.पी ब्रादर्स, मेडिकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड. 2006.
10. जेलेफी, डी.बी. द एसीसमेंट ऑफ न्यूट्रीशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी डबल्यू.एच.ओ. मोनोग्राफ सीरीज न. 53, जेनेवा, डबल्यू.एच.ओ. 1966.
11. दास, एस. – बॉस, के. एस्सिमेंट ऑफ न्य ूट्रशनल स्टेटस बाई एन्थ्रोपोमेटिक इंडेक्स इन संथाल ट्रायबल चिल्ड्रेन, जर्नल ऑफ लाइफ साइन्स. 2011, 3(2):81–85.
12. फ्लोरेय, वी. द यूस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पोंडेरल इंडेक्स एंड अदर वैट–हाईट रेसिओ इन एपिडेमिओलोगी स्टडी, जर्नल ऑफ कोरिओनिक डिसिजेस, वॉल. 1970, 23(1):93–103.
13. बिक, प्रमिला – मिश्रा, बी.के. एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल एण्ड न्यूट्रसनल स्टेटस ऑफ सेलेक्टेड उरांव ट्रायबल इन एण्ड एराउंड सम्बलपुर, ओड़ीशा, कमला राज, स्टडी ट्राइबस 2011, 9(1):1–9.
14. बेकार, जी. हैल्थ स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ गुहाटी सिटि. इन एफ.ए. दास अँड आई. बरुआ (ईडीएस.) कम्यूनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, न्यू दिल्ली, मित्तल पब्लिकेशन्स. 1996.
15. जोशी अनिता एवं हुसैन एम मुनिरा 2001, डॉ. अम्बेडकर शोध पत्रिका पृ.क्र. 93–101
16. गुप्ता, वाई. पी. (1991).कब खत्म होगी कुपोषण की समस्या, संडे मिल पत्रिका।
17. जैन, आशा (1988), कुपोषित शिशुओं का वनज एवं ऊँचाई मात्र (बाल कल्याण एवं विकास) पृ.क्र. 47
18. मानव विकास रिपोर्ट 2017। 11. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण 2015–16 12. एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम 2015–16
19. https://mpwcdmis.gov.in/scheme_poshanabhiyan.aspx
20. https://mpwcdmis.gov.in/ICDSSnpYojna.aspx